।।कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना लालकोठी जयपुर पूर्व।।

क्रमांक :– 1362(A) दिनांक :– 28.5.19

श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त महोदय,
वृत्त गांधीनगर जिला जयपुर पूर्व।

विषय :– राजस्थान सम्पर्क हैल्पलाईन 181 परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार के संबध में।

प्रसंग :– श्रीमान के कार्यालय पत्रांक 911 दिनांक 23.04.2019 की पालना में।

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग के सन्द्रर्भ में निवेदन है कि श्रीमान के कार्यालय राजस्थान सम्पर्क (मुख्यमंत्री सहायता) हैल्पलाईन 181 से (वैबपोटर्ल क्रमांक 04190675446367 दिनांक 23.04.2019) परिवादी ज्ञानेश कुमार निवासी 04/209 चित्रकुट वैशाली नगर वार्ड नं. 65 जयपुर द्वारा पेश थाना हाजा पर इस आशय का प्राप्त हुआ कि दिनांक 31.03.2019 को प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर शीर्षक "जयपुर जेल में भारी अराजकता :कैदियो ने जेलर की अंगुली ही तोड डाली" थाना हाजा पर उक्त घटना के सबध में परिवादी श्री राज महेन्द्र विश्नोई हॉल कारापाल केन्द्रीय कारागृह जयपुर के द्वारा स्वयं एवं अन्य डयुटी स्टाफ के साथ दिनांक 30.03.19 को डयुटी के दौरान उक्त बंदीगण द्वारा मारपीट करने पर थाना हाजा पर मु.न. 70/2019 धारा 353,332 भा.द.स. मं दर्ज होकर अनुसंधान किया जा रहा है। प्रकरण हाजा के परिवादी श्री राज महेन्द्र विश्नोई के आई चोटो का मेडीकल मुआयना करवाया गया जिसकी मेडीकल रिपोर्ट में श्रीमान मेडीकल जुरिष्ट द्वारा अपनी आई/आर रिपोर्ट में चोट को गंभीर प्रकृर्ति (ग्रेवियस) आना अकिंत किया है जिस पर प्रकरण हाजा में धारा 333 भा.द.स. जोडी गई एवं उक्त घटना के संबध में आरोपी बदीगणो का भी श्रीमान न्यायालय के आदेशानुसार मेडीकल मेडीकल जुरिष्ट द्वारा मेडीकल मुआयना करवाया गया है जिसकी आई/आर रिपोर्ट आना शेष है। प्रकरण हाजा में अनुसंधान जारी है।

रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।

थानाधिकारी
पुलिस थाना लालकोठी
जयपुर पूर्व।

Scanned by CamScanner